

भारतीय संविधान की शकात्मक एवं संघात्मक विशेषताएँ

भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद लक्षण उसका संघात्मक स्वरूप है। ऐसा संविधान के प्रथम अनुच्छेद से ही विदित हो जाता है। जिसमें भारत को राज्यों का संघ (Union of States) कहा गया है। कुछ न्यायविदों व राजनीति सिद्धान्तशास्त्री व दियोगीकार इसे संघात्मक (Federal) कुछ इसे शकात्मक (Unitary) तथा कुछ विचारक मध्यमवर्ग का अनुसरण करते हैं।
द्वैत - संघात्मक (Quasi-federal) कहते हैं।

संघवाद का अर्थ (Meaning of Federalism)

केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण या उनके शक्ति का सन्तुलन में विभाजन राजनीतिक व्यवस्थाओं को मुख्यतः संघवाद में बाँटा जाता है। शकात्मक व्यवस्था में शक्ति के हाथों में राज्य की सत्ता वितरित होती है।

संघात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा निर्धारित विभिन्न शक्तियों के वितरण का विवरण होता है।

कुछ महत्वपूर्ण अवयव (Some important elements)